कार्यालय, लोकपाल, मनरेगा नवादा

क्र० सं०	वाद सं०	प्राप्त शिकायत का सार	जाँच परान्त पाई गई अनियमिता का सार	कार्रवाई के सम्बन्ध में अनुशंसा
	1/14–15	सिरदला प्रखण्ड अन्तर्गत ग्राम+पं० चौकिया में मनरेगा यो० के तहत मोरम की आपूर्ति में फर्जी चालान के आधार पर मात्र 1,39,220.00 (एक लाख उनचालिस हजार दो सौ बीस रूप्ये गबन करने के सम्बन्ध में।	कार्य{म पदाधिारी मनरेगा, सिरदला एवं सहायक निदेशक, खान नवादा, द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन से आरोप की पुष्टि हुई है।	आपूर्तिकर्त्ता श्री सत्यू प्र० पिता– श्री राधो प्र० ग्राम–गुलाब नगर के विरूद्ध फर्जी चालान के आधार पर धोखाधड़ी कर सरकारी राशि प्राप्त करने के आरोप में तथा धनश्याम प्रसाद तत्कालीन पंचायत रोजगार सेवक द्वारा अपने दयित्वों के निवेदन में लापरवाही बरतवे के आरोप में स्थानीय सिरदला थाना मेंप्राथमिकी दर्ज कर दिया गया। साथ ही सम्बन्धित कर्मीयों ग्राम पं० के मुखिया सहित पर 45,00.00 का अर्थदण्ड लगाया गया तथा उतरी राशि जमा करा ली गई।

ह०.....

राय मदन किशोर
(लोकपाल, मनरेगा)
नवादा

ज्ञापांक सं०.....1/ लो० मन, गया दिनांक–23.09.2014

प्रतिलिपि:– प्रधान सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार पटना को सूचनार्थ। ~~लोकपाल, मनरेगा, नवादा~~

लोकपाल, मनरेगा, नवादा